Regarding Supreme Court`s decisions allowing sub-classification of SCs and STs for separate quotas

श्री वरुण चौधरी (अम्बाला) : सभापति जी, हाल ही में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविन्दर सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, इसके कारण पूरे देश में अनुसूचित जाति के जो हमारे साथी हैं, उनके अन्दर अशान्ति का भाव है और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। इसी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को ? भारत बंद? का भी आह्वान किया गया है ।

सभापति महोदया, इसके अन्दर क्रीमी लेयर की भी बात कही जा रही है, सब-क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है और सब-क्लासिफिकेशन का जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों को दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है । अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिला था, वह आर्थिक आधार पर कभी नहीं मिला था । जब वह मिला था, तो वह छुआछूत के खिलाफ, जातिगत श्रेष्ठता और हीनता के खिलाफ मिला था । समाज के अन्दर यह जातिगत श्रेष्ठता और हीनता आज भी मौजूद हैं । अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी, उनकी जो परिकल्पना थी, यह उसके खिलाफ है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय पर एक बयान दे और उपरोक्त वर्णित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक समीक्षा पिटीशन भी दायर करे, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि इससे अनुसूचित जातियों के आरक्षण को खत्म करने का एक रास्ता बनाया जा रहा है ।

महोदया, आज भी आप देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट के कितने मामले रजिस्टर होते हैं और उत्पीड़न के कितने मामले आज भी दिखाई देते हैं । इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाले और इसके ऊपर अपना वक्तव्य भी दे ।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : महोदया, क्या सरकार इसको नोटिस में लेगी? सरकार को इस पर बयान देना चाहिए ।? (व्यवधान)